<u>संचालनालय चिकित्सा शिक्षा</u>

<u>मध्यप्रदेश</u>

<u>सतपुडा भवन छठवीं मंजिल,मध्य प्रदेश भोपाल</u>

<u>दुरभाष कमांक–0755–2551719,2550186 फैक्स–0755 2551719,255018</u>

कमांक 2–85 / प्रवेश / यूजी / संचिशि / 2016 भोपाल,दिनांक 22 / 09 / 2016

<u>// विज्ञप्ति //</u>

माननीय सर्वोच्च न्यायायलय, नई दिल्ली में मध्यप्रदेश शासन द्वारा दायर अवमानना याचिका क्र0 584 / 2016 में दिनांक 22.9.2016 को दिये गये आदेश के परिपालन में निजी चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालयों द्वारा किये गये प्रवेश की प्रकिया एवं पूर्व में प्रथम चरण की राज्य स्तरीय संयुक्त काउसंलिंग में निजी चिकित्सा / दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में किये गये प्रवेश निरस्त कर दिये गये हैं एवं निर्णयानुसार शैक्षणिक सत्र 2016–17 के लिये राज्य के निजी चिकित्सा महाविद्यालयों एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालय मे उपलब्ध एमबीबीएस / बीडीएस पाठ्यक्रमों की 85 प्रतिशंत सीटों एवं शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालय,इंदौर में प्रथम चरण की काउसंलिंग के उपरांत एमबीबीएस / बीडीएस पाठ्यक्रमों की उपलब्ध रिक्त **<u>सीटो पर</u>** प्रवेश हेतु राज्य स्तरीय संयुक्त काउसिलिंग एम0पी0ऑन लाईन द्वारा ''नीट 2016 यू0जी0 प्रवेश परीक्षा'' से प्राप्त मेरिट लिस्ट के आधार पर ऑन लाईन की जाएगी।

राज्य स्तरीय संयुक्त काउसिलिंग **<u>23.09.2016 से 30.09.2016</u>** तक की जाएगी । ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने अपना एम.पी. आन लाईन के माध्यम से रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया वे भी अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर इस काउसिलिंग प्रक्रिया में भाग ले सकते है। पूर्व में जिन अभ्यार्थियो द्वारा रजिस्ट्रेशन करवाया जा चुका है उन्हे पुनः रजिस्ट्रेशन कराये जाने की आवश्यकता नहीं है, परन्तु इस चरण की काउसिलिंग की प्रक्रिया हेतु नवीन एवं इच्छुक रजिस्ट्रर्ड अभ्यार्थियों को पुनः ''च्वाईस फिलिंग एवं च्वाईस लॉकिंग'' करना अनिवार्य होगा। **<u>ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम चरण की काउसंलिंग में शासकीय स्वशासी चिकित्सा / दंत चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश मिला है एवं जिन्होने प्रवेश के समय सेटिसफाईड (Satisfied) का विकल्प दिया है, ऐसे अभ्यर्थियों को च्वाईस फिलिंग नहीं करना है तथा ऐसे अभ्यर्थियों की प्रथम चरण में आवंटित, प्रवेशित सीट एवं महाविद्यालय यथावत रहेगी</u>** । इस संबंध में विस्तृत काउसिलिंग शैड्यूल संचालनालय चिकित्सा शिक्षा की वेबसाईट www. medicaleducation.mp.gov.in एवं एम0पी0 ऑन लाईन की वेबसाईट www. mponline.gov.in पर उपलब्ध है।

कार्यक्रम के संबंध में किसी भी प्रकार के संशोधन की जानकारी संचालनालय चिकित्सा शिक्षा की वेवसाईट www. medicaleducation.mp.gov.in एवं एम0पी0 ऑन लाईन की वेबसाईट www. mponline.gov.in पर प्रदर्शित की जाएगी। इस हेतु पृथक से कोई विज्ञापन प्रसारित नहीं किया जावेगा ।

22.9.16

संचालक चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश

G:\Session 15-16 MBBS BDS\MBBS BDS 15-16.docx